वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय साक्षरता

Compiled by Shri Narayan, DGM & Member of Faculty, CAB, Pune . He may be reached at narayan@rbi.org.in

Disclaimer: The material is for academic and information purposes only. Please be guided by the relevant laws, circulars, instructions etc. in this regard. The views expressed in this content are those of the author and do not represent the views of the Reserve Bank of India or the College of Agricultural Banking, Pune. Usual disclaimer shall apply.

वित्तीय समावेशन

परिचय

विश्व भर में वित्तीय समावेशन और वित्तीय सेवाओं की पहुँच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां हैं जिसमें मुख्य रूप से है लास्ट माइल कनेक्टिविटी के कारण शेष अंतर को पाटना। इसके अलावा, वित्तीय सेवाओं के लिए उसी के सार्थक उपयोग में पहुंच को परिवर्तित करके वित्तीय समावेशन को टिकाऊ बनाना चुनौती है। विश्व स्तर पर, यह अहसास बढ़ रहा है कि शेष अंतराल के प्लगिंग में डिजिटल तकनीक प्रभावी भूमिका निभा सकती है ।

2. क्या है वित्तीय समावेशन?

आइए भारतीय संदर्भ में वित्तीय समावेशन के उद्देश्य, दायरे और दृष्टिकोण को समझने के लिए वित्तीय समावेशन की दो महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर एक नज़र डालें।

वित्तीय समावेशन समिति (अध्यक्ष: डॉ सी रंगराजन) के अनुसार, वित्तीय समावेशन को कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों जैसे कमजोर समूहों द्वारा वित्तीय सेवाओं तक किफायती लागत पर पहुंच सुनिश्चित करने और जहां आवश्यक हो, समय पर और पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

जैसे-जैसे देश वित्तीय समावेशन के पथ पर आगे बढ़ा, वित्तीय समावेशन को और अधिक परिष्कृत किया गया जो डॉ. रघुराम जी राजन, पूर्व गवर्नर आरबीआई ने "वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिमान बदलना " विषय पर 18 जुलाई 2016 को दिए गए उनके भाषण में दी गई परिभाषा में परिलक्षित होता है। डॉ राजन के अनुसार वित्तीय समावेशन (क) उन लोगों के लिए **वित्तीय सेवाओं का विस्तार** और उद्यम जिनकी वित्तीय सेवा क्षेत्र तक पहुंच नहीं है; (ख) उन लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं को गहरा करना जिनके पास न्यूनतम वित्तीय सेवाएं हैं; और (ग) अधिक वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण ताकि वित्तीय उत्पादों की पेशकश करने वाले उचित विकल्प चुन सकें

3. वित्तीय समावेशन की भारत में वर्तमान स्थिति

3.1 वित्तीय सेवाओं तक पहुँच

ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2017 के अनुसार, भारत में वित्तीय सेवाओं की पहुँच के लिए निम्नलिखित अंतर्दृष्टि कुंजियाँ है :

- बैंक खाते में वयस्कों का हिस्सा - 2011 से दोगुने से अधिक 80%
- बायोमेट्रिक पहचान कार्ड के माध्यम से बैंक रहित वयस्कों में खाता स्वामित्व को सक्षम करना समावेशन के स्तर में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कारकों में से एक था।
- खाता स्वामित्व : 2014 तथा 2017 के बीच वित्तीय समावेशन की प्रवृत्तियाँ
  - सबसे गरीब 40 प्रतिशत घरों में, महिलाओं के साथ-साथ वयस्कों में भी यह 30 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया।
  - सबसे धनी 60 प्रतिशत परिवारों में - पुरुषों और वयस्कों में इसमें लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
  - 2014 में पीएमजेडीवाई के शुभारंभ से परंपरागत रूप से बहिष्कृत समूहों को लाभ हुआ और खाता स्वामित्व में समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करने में मदद मिली।

4. डिजिटल वित्तीय सेवाएं

4.1 डिजिटल वित्तीय सेवाएं - परिभाषा

डिजिटल वित्तीय सेवाओं (डीएफएस) को डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वित्तीय संचालन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक धन, मोबाइल वित्तीय सेवाएं, ऑनलाइन वित्तीय सेवाएं, आई-टेलर और शाखा रहित बैंकिंग शामिल हैं, चाहे बैंक या गैर-बैंक संस्थानों के माध्यम से। DFS में पैसे जमा करने, निकालने, भेजने और प्राप्त करने के साथ-साथ भुगतान, क्रेडिट, बचत, पेंशन और बीमा सहित अन्य वित्तीय उत्पादों और सेवाओं जैसे विभिन्न मौद्रिक लेनदेन शामिल हो सकते हैं। DFS में गैर-लेन-देन संबंधी सेवाएं भी शामिल हो सकती हैं, जैसे कि डिजिटल उपकरणों के माध्यम से व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी देखना (G20/OECD INFE, 2017)।

4.2 डिजिटल वित्तीय सेवाओं का भारत में विस्तार

रिज़र्व बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के अधिक से अधिक उपयोग को प्रोत्साहित किया है ताकि "कम-नकद" लेन-देन करने वाले तबके को प्राप्त किया जा सके। हाल के वर्षों में, आरबीआई द्वारा अत्याधुनिक राष्ट्रीय भुगतान अवसंरचना और प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक केंद्रित प्रयास किया गया है, चाहे वह तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), भारत इंटरफेस फॉर मनी (बीएचआईएम), भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस), या आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) हो। इसने देश के खुदरा भुगतान परिदृश्य को बदल दिया है।

5. मुद्दे तथा चुनौतियां

वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय रणनीति ने भारत में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में कुछ मुद्दों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। मुद्दों और चुनौतियों का उल्लेख नीचे किया गया है:

(i) अपर्याप्त अवसंरचना: ग्रामीण, दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों और वामपंथी क्षेत्रों में उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्र, सीमित शारीरिक आधारभूत संरचना तथा सीमित यातायात सुविधा से वित्तीय समावेशन के प्रयास में चुनौतियां आयी है।

(ii) सीमित टेली कनेक्टिविटी: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित मॉडलों के माध्यम से वित्तीय सेवाओं का प्रावधान वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के प्रभावी तरीकों में से एक है। हालांकि, ग्रामीण, दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में, सीमित टेली और इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल वित्तीय सेवाओं के प्रावधान और व्यापार संवाददाताओं के संचालन को प्रभावित करती है।

(iii) सुविधा तथा प्रासंगिकता: ऑन-बोर्डिंग प्रक्रियाएं एक निवारक के रूप में कार्य करती हैं, खासकर जब वित्तीय साक्षरता का स्तर कम होता है या जब उत्पादों को समझना आसान नहीं होता है। यह तब भी हो सकता है जब उत्पाद ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, उदा. सूक्ष्म उद्यमी जिनका नकदी प्रवाह अनिश्चित है।

(iv) सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएं: जनसंख्या के कुछ वर्गों में कुछ मूल्य प्रणाली और विश्वास हैं जिसके परिणामस्वरूप औपचारिक वित्तीय सेवाओं के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण की कमी होती है। समाज के कुछ वर्गों में सांस्कृतिक बाधाओं के कारण महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने की स्वतंत्रता और विकल्प सीमित हैं।

(v) उत्पाद उपयोग: वर्ल्ड फाइंडेक्स डेटाबेस 2017 में दिए गए अनुमानों के अनुसार, जबकि भारत में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में अंतर 20% तक कम हो गया है, लगभग आधे खाता मालिकों के पास एक खाता था जो पिछले वर्ष निष्क्रिय रहा। डिजिटल वित्तीय सेवाओं को अपनाने के साथ वित्तीय सेवाओं के उपयोग को बढ़ाने की जरूरत है। कौशल विकास और आजीविका कार्यक्रमों के साथ वित्तीय समावेशन प्रयासों का अभिसरण और वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के प्रयास भी उपयोग में वृद्धि करने में मदद करेंगे।

(vi) पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर: डिजिटल वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए भुगतान उत्पादों और

बुनियादी ढांचे के संबंध में नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है।

6. निष्कर्ष

वर्ल्ड फाइंडेक्स डेटाबेस 2017 में दिए गए अनुमानों के अनुसार, जबकि भारत में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में अंतर 20% तक कम हो गया है, लगभग आधे खाता मालिकों के पास एक खाता था जो पिछले वर्ष निष्क्रिय रहा। यह चुनौती डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदाता को खाता पहुंच बढ़ाने और उपयोग बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। भारत में डिजिटल वित्तीय सेवाओं के प्रसार ने फिनटेक को वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद की है। हम वित्तीय समावेशन में फिनटेक की भूमिका को कवर करने वाली अगली पूर्व-पठित सामग्री में गैर-बैंक संस्थाओं द्वारा निभाई गई भूमिका को कवर करेंगे।

वित्तीय साक्षरता

वित्तीय समावेशन पहलों को प्रभावोत्पादकता प्रदान करने के लिए वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण है। वित्तीय समावेशन विभिन्न विकास नीतिगत पहलों के फोकस में एक एजेंडा है चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या घरेलू मोर्चे पर। घरेलू मोर्चे पर, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार दोनों ही सामान्य रूप से लोगों और विशेष रूप से विशिष्ट लक्षित समूहों को वित्तीय शिक्षा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

2. वित्तीय साक्षरता - परिभाषा

वित्तीय साक्षरता और डिजिटल वित्तीय साक्षरता की परिभाषा वित्तीय साक्षरता के घटकों को समझने और वित्तीय साक्षरता पहल के परिणामों को मापने में उपयोगी होगी। OECD/INFE (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन - वित्तीय शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क) ने वित्तीय साक्षरता को सार्थक वित्तीय निर्णय लेने और अंततः व्यक्तिगत वित्तीय भलाई प्राप्त करने के लिए आवश्यक जागरूकता, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार के संयोजन के रूप में परिभाषित किया है।

3. वित्तीय साक्षरता का मापन - राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता तथा समावेश सर्वेक्षण(2019)

नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन (एनसीएफई), आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी कंपनी ने भारत में वित्तीय साक्षरता की स्थिति का पता लगाने के लिए 2019 में एक अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता सर्वेक्षण किया। पारिवारिक प्रश्नावली के एक सेट का उपयोग करके 18 से 79 आयु वर्ग के 75140 वयस्कों के नमूने का 14 राष्ट्रीय/क्षेत्रीय भाषाओं में साक्षात्कार लिया गया। सर्वेक्षण के दौरान जिलों, ब्लॉक/वार्डों, गांवों, परिवारों, उत्तरदाताओं के चयन के लिए एक बहु-स्तरीय नमूना तकनीक अपनाई गई। सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चला है कि 2013 में 20% की तुलना में 27.18% उत्तरदाताओं ने OECD-INFE द्वारा निर्धारित वित्तीय साक्षरता के प्रत्येक घटक में न्यूनतम लक्ष्य स्कोर/न्यूनतम सीमा स्कोर प्राप्त किया है निर्धारित [अर्थात वित्तीय दृष्टिकोण में न्यूनतम 3 (5 में से), 6 वित्तीय व्यवहार में (9 में से) और 6 वित्तीय ज्ञान में (9 में से)]। पुरुषों के बीच वित्तीय साक्षरता स्तर 29% था और महिलाओं में 21% था। सर्वेक्षण ने वित्तीय साक्षरता में महत्वपूर्ण अंतराल का मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन भी प्रस्तुत किया जिसे नीचे दिया गया है:

- यद्यपि उक्त अवधि में सुधार हुआ है, आगे महिलाओं की वित्तीय साक्षरता में सुधार करने हेतु प्रयासों की आवश्यकता हैं।
- पूर्व, मध्य तथा उत्तर क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है
- ग्रामीण भारत में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है

- अवर शिक्षा समूह को बेहतर वित्तीय शिक्षा देने के लिए पहल की जानी चाहिए
- '50 और इससे अधिक' आयु वर्ग समूह को अधिक वित्तीय शिक्षा देने की आवश्यकता है

4. वित्तीय साक्षरता - संस्थागत रूपरेखा

नीति स्तर पर, वित्तीय समावेशन और साक्षरता पर एक तकनीकी समूह का गठन किया गया है जो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप-समिति के तहत सभी वित्तीय क्षेत्र के नियामकों का एक मंच है। तकनीकी समूह के तत्वावधान में, नियामकों द्वारा वित्तीय साक्षरता गतिविधियों के समन्वय और वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफई) को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) की स्थापना की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2013-2018 के दौरान वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति लागू की।

5. वित्तीय साक्षरता चैनल

रिज़र्व बैंक वित्तीय साक्षरता के लिए ग्रामीण शाखाओं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के वित्तीय साक्षरता केंद्रों, वित्तीय साक्षरता केंद्र और आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता के प्रसार के माध्यम से वित्तीय साक्षरता के लिए विभिन्न पहल कर रहा है। यह एसएमएस, विज्ञापनों, आईवीआर संदेशों के माध्यम से वेबसाइटों और कियोस्क और मीडिया अभियानों जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी उपयोग करता है। https://rbi.org.in/FinancialEducation/Home.aspx लिंक के तहत एक समर्पित वित्तीय शिक्षा वेबपेज भी प्रदान किया गया है। आरबीआई ने 2017 से वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाने की भी शुरुआत की है।

6. वित्तीय साक्षरता विषय

वित्तीय साक्षरता के लिए सामग्री के संबंध में, आरबीआई ने पांच लक्षित विशिष्ट समूहों के लिए अनुकूलित सामग्री, किसान, स्कूली बच्चे, स्वयं सहायता समूह, छोटे उद्यमी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय जागरूकता संदेश (एफएएमई) बनाया है। इसके अलावा, एनसीएफई ने विभिन्न वित्तीय सेवाओं के लिए उपयुक्त सामग्री के निर्माण सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता का प्रसार किया है। इन पहलों ने आबादी के एक बड़े हिस्से में वित्तीय सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद की है।

7. वित्तीय साक्षरता - एफएलसी और ग्रामीण शाखाएं

वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करने की सलाह दी गई। डिजिटल वित्तीय साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करने के हिस्से के रूप में, बैंकों को लक्षित विशिष्ट समूहों जैसे किसानों, छोटे उद्यमियों, स्कूली बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और स्वयं सहायता समूहों के लिए शिविरों के अलावा यूपीआई और *99# (यूएसएसडी) के माध्यम से **' Going Digital'** पर अपने एफएलसी के माध्यम से विशेष शिविर आयोजित करने की सलाह दी गई थी।

वित्तीय जागरूकता संदेश (FAME) पुस्तिका जिसमें 11 संस्थान-न्यूट्रल वित्तीय जागरूकता संदेश शामिल हैं, प्रशिक्षकों और शिविर प्रतिभागियों के लाभ के लिए प्रकाशित किए गए थे। बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को हर महीने एक कैंप आयोजित करने की सलाह दी गई थी, जिसमें FAME बुकलेट और दो डिजिटल प्लेटफॉर्म UPI और *99# (USSD) के सभी संदेशों को शामिल किया गया था।

वित्तीय समावेशन के लिए मध्यम अवधि के पथ पर समिति ने संरचित "प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करें" कार्यक्रम के माध्यम से एफएलसी नेटवर्क को मजबूत करने की सिफारिश की थी। तदनुसार, वित्तीय साक्षरता पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम का टियर-1 कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में मुख्य साक्षरता अधिकारी और बैंकों के अग्रणी साक्षरता अधिकारियों और भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय साक्षरता अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया था।

8. वित्तीय साक्षरता केंद्र (पैसे के हिसाब से)

वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) पायलट परियोजना प्रायोजक बैंकों के सहयोग से 80 ब्लॉकों के नौ राज्यों में शुरू की गई है। बैंकों के सहयोग से डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (डीईए फंड) के साथ पंजीकृत छह एनजीओ अर्थात क्रिसिल फाउंडेशन, धन फाउंडेशन, स्वाधार फिनएक्सेस, इंडियन स्कूल ऑफ माइक्रो फाइनेंस फॉर विमेन (आईएसएमडब्ल्यू), समरपिट और पीएसीई फाउंडेशन को पायलट प्रोजेक्ट को निष्पादित करने के लिए चुना गया है। पायलट प्रोजेक्ट को सक्रिय बचत और अच्छी उधारी, वित्तीय योजना और लक्ष्य निर्धारण, डिजिटल होने और उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्यों के साथ क्रियान्वित किया गया है। सीएफएल को एक सामान्य नाम और लोगो "मनीवाइज सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी" के तहत स्थापित किया गया है। 2019 में, सीएफएल परियोजना के तहत मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान के तीन राज्यों में बीस आदिवासी ब्लॉक जोड़े गए।

पायलट प्रोजेक्ट के प्रभाव आकलन के भाग के रूप में किए गए मिडलाइन सर्वेक्षण के अवलोकन/निष्कर्ष सीएफएल के रूप में हैं नीचे दिए गए है:

a. सीएफएल कार्यक्रम की व्यापक पहुंच तथा अधिक उत्तरदाताओं की भागीदारी ;

b. "सक्रिय" भागीदारी, जैसे आमने-सामने बैठकें या प्रशिक्षण, दोनों वित्तीय साक्षरता के लिए और उत्पादों के बढ़ते उपयोग और उठाव विशेष रूप से बचत बैंक खातों के लिए बेहतर परिणाम देते हैं; तथा

c. शिकायत शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करने की इच्छा और विश्वास से शिकायतों को जल्दी और संतोषजनक ढंग से हल किया जाएगा, इसमें मामूली सुधार दिखाता है, और यह उन लोगों के साथ विशेष रूप से स्पष्ट है जिन्हें “एक्टिव” एक्सपोजर है।

सर्वेक्षण में यह भी सुझाव दिया गया है कि वित्तीय साक्षरता को व्यापक-आधारित जोखिम और इस तरह की जानकारी और ज्ञान के नेटवर्क-आधारित प्रसारण का लाभ उठाकर सुधारा जा सकता है। हालांकि, उत्पाद के उपयोग और वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु अधिक ध्यान केंद्रित, लक्षित और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।

9. राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और पेंशन फंड नियामक तथा विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा धारा 8 (लाभ के लिए नहीं) के अनुसार राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) प्रवर्तित कंपनी है । यह वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति के अनुसार जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करती है।

एनसीएफई विभिन्न संस्थानों और संगठनों की मदद से देश भर में वित्तीय शिक्षा अभियानों के माध्यम से वित्तीय जागरूकता निर्माण करने में कार्यरत है। यह वित्तीय शिक्षा में प्रशिक्षण भी प्रदान करता है और वित्तीय शिक्षा सामग्री जैसे वर्कबुक, वर्कशीट, साहित्य, पैम्फलेट, बुकलेट, फ्लायर्स, तकनीकी सहायता तैयार करती है। एनसीएफई ने आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय जागरूकता संदेशों पर ऑडियो विजुअल तैयार किए है।

10 आगे की राह

10.1 एनएसएफआई के तहत वित्तीय साक्षरता (2019-24)

चूंकि वित्तीय साक्षरता और शिक्षा एक जीवंत वित्तीय प्रणाली का आधार हैं, इसलिए इस दिशा में निरंतर प्रयास करना महत्वपूर्ण है। वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय रणनीति ने सिफारिश की है कि एसएलबीसी/डीसीसी/डीएलआरसी के मौजूदा तंत्र का लाभ उठाया जाए और वास्तविक धरातल पर वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई, नाबार्ड, एनआरएलएम संसाधन व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों, पैक्स, पंचायतों, एसएचजी, किसान क्लबों आदि द्वारा समन्वित प्रयास किए जाने की संस्तुति की।

ग्राहकों को उत्पाद की प्रकृति, उनकी आवश्यकताओं के लिए इसकी उपयुक्तता और वापसी की तुलना में लागत के बारे में सरल भाषा में समझाया जाना चाहिए।

10.2 वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति: भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2013-2018 के दौरान वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति लागू की।

10.3 वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह (टीजीएफआईएफएल) के प्रमुख - डिप्टी गवर्नर, भारतीय

रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 20 अगस्त, 2020 को वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (NSFE) 2020-2025 जारी किया गया है। कार्यनीति ने देश में वित्तीय शिक्षा के प्रसार के लिए '5 सी' दृष्टिकोण की सिफारिश की है। 2020-25 की कार्यनीति में स्कूलों, कॉलेजों और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में पाठ्यक्रम में प्रासंगिक सामग्री के विकास पर जोर देना, वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में शामिल बिचौलियों के बीच क्षमता विकसित करना, वित्तीय साक्षरता के लिए उपयुक्त संचार रणनीति द्वारा समुदाय के नेतृत्व वाले मॉडल के सकारात्मक प्रभाव का लाभ उठाना और विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाना, शामिल है।

निष्कर्ष

भारत में वित्तीय साक्षरता और शिक्षा वित्तीय समावेशन पहल का एक अभिन्न अंग रहा है। राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता और समावेशन सर्वेक्षण के माध्यम से मापा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों, एफएलसी, बैंकों की ग्रामीण शाखाओं और अन्य हितधारकों द्वारा संचालित साक्षरता कार्यक्रम के परिणामस्वरूप वित्तीय साक्षरता का स्तर उच्च हुआ है। वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020 से 2025 तक वित्तीय साक्षारता के दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करती है। यह पहलें देश के लोगों में विशेषकर जिस खंड में अब तक पहुँच नहीं बनी है वहाँ वित्तीय साक्षारता के उच्च स्तर को हासिल करने में महत्वपूर्ण कुंजी साबित होंगी।